भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1473

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति

1473. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः
श्री के.आर.एन. राजेश कुमारः
श्रीमती रंजीत रंजनः
श्री दिग्विजय सिंहः
श्री धीरज प्रसाद साहूः
डा. अमी याज्ञिकः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई संहिताबद्ध पात्रता और प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात की पहचान करने के लिए कोई कदम उठाया है कि उक्त अपराधों को हटा देने से निजता का मौलिक अधिकार प्रभावित होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) : गौण अपराधों के गैर-अपराधीकरण के उद्देश्य के लिए जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है ताकि इससे नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा दिया जा सके। संशोधन में कवर होने वाले 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों से संबंधित कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया है। जहां भी न्यायनिर्णयन तंत्र बनाया गया है वहां जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के उन प्रावधानों में न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित विवरण दर्शाया गया है।

(ख) : जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 का उद्देश्य गौण, तकनीकी अथवा प्रक्रियागत अपराधों का गैर अपराधीकरण करना है और इससे निजता के मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संबंधित मूल अधिनियमों के अन्य सभी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

*****